राजस्थान सरकार
कृषि निदेशालय, राज0 जयपुर

कमांकः प.2(8)(1)(डी–1826)/नि.कृ./जांच/ 413-517 दिनांक 3.5.17

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) 1958 के नियम 15 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कृषि विभाग के मंत्रालयिक एवं अधिनस्थ कार्मिकों के विरूद्ध नियम 17 व 16 के अधीन लघु एवं वृहत शास्तियां (नियम 14 में अंकित शास्ती 6 व 7 को छोड़कर) अधिरोपित करने के लिए नियमानुसार अनुशासनिक अधिकारियों को सशक्त किया जाता है:–

क्र. सं.	नाम संवर्ग (कार्यरत कार्यालय)	17 सीसीए	16 सीसीए
	निदेशालय कृषि		
	मंत्रालयिक 1.निजी सचिव 2.प्रशासनिक अधिकारी 3.अतिरिक्त निजी सचिव 4.निजी सहायक 5.शीघ्रलिपिक 6.कार्यालय अधीक्षक कम सहा. प्रशा. अधिकारी 7. सहा. कार्यालय अधीक्षक 8. लिपिक ग्रेड–I 9. लिपिक ग्रेड–II अधीनस्थ 1.सहा0कृषि अनु0अधिकारी 2.सहा0कृषि अधिकारी 3.सहा0सांख्यिकी अधिकारी 4.कनिष्ठ अभियन्ता 5.वरिष्ठ प्रारूपकार 6.कृषि पर्यवेक्षक 7.प्रोड्यूसर वीडियो 8.प्रेस मैनेजर 9.फोटोग्राफर 10.फोटोग्राफर कम आर्टिस्ट 11.प्रिंटर ग्रेड–I 12.लाइब्रेरियन 13.कम्पोजिट कम प्रिंटर 14.डार्करूम सहायक 15.कारपेंटर 16.इलेक्ट्रिशियन 17.आफसेट प्रेस ऑपरेटर 18.लिफ्ट ऑपरेटर 19.टेक्नीशियन एवीपी 20.आफसेट प्रिंटर 21.आर्टिस्ट 22.ईपीबीएक्स सुपरवाईजर 23.टेलीफोन ऑपरेटर 24.स्वागतकर्ता 25 प्लम्बर 26 प्रोजेक्टर ऑपरेटर 27 वाहन चालक	अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार)	अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार) (नियम 14 में अंकित शास्ती 6 व 7 को छोडकर)
2	जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग		
	मंत्रालयिक 1.निजी सचिव 2.प्रशासनिक अधिकारी 3.अतिरिक्त निजी सचिव	आयुक्त/ निदेशक जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण	आयुक्त/निदेशक जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग (नियम 14 में अंकित शास्ती 6 व 7 को छोडकर)

	4.निजी सहायक 5.शीघ्रलिपिक 6.कार्यालय अधीक्षक कम सहा0 प्रशासनिक अधिकारी 7. सहा0 कार्यालय अधीक्षक 8. लिपिक ग्रेड–I 9. लिपिक ग्रेड–II अधीनस्थ 1.सहा0सांख्यिकी अधिकारी 3.कनिष्ठ अभियन्ता 4.कृषि अन्वेषक 5.वाहन चालक		
3	उद्यान विभाग मंत्रालयिक 1.अतिरिक्त निजी सचिव 2.निजी सहायक 3.शीघ्रलिपिक 4.कार्यालय अधीक्षक कम सहा. प्रशा. अधिकारी 5. सहा. कार्यालय अधीक्षक 6. लिपिक ग्रेड–I 7. लिपिक ग्रेड–II अधीनस्थ 1.सहा0कृषि अनु0 अधिकारी 2.सहा0सांख्यिकी अधिकारी 3.सहा0 कृषि अधिकारी 4.कृषि पर्यवेक्षक 5.वाहन चालक	निदेशक उद्यान	निदेशक उद्यान (नियम 14 में अंकित शास्ती 6 व 7 को छोडकर)
4	राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर 1.अतिरिक्त निजी सचिव 2.सहायक कृषि अधिकारी 3.सहा0कार्यालय अधीक्षक 4.लिपिक ग्रेड–I 5.लिपिक ग्रेड–II 6.कृषि पर्यवेक्षक 7.प्रोजेक्ट ऑपरेटर 8.वाहन चालक कृषि प्रबंध संस्थान,टोंक/कोटा 1.सहा0कार्या0अधीक्षक 2.लिपिक ग्रेड–I 3. लिपिक ग्रेड–II	निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर	निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर (नियम 14 में अंकित शास्ती 6 व 7 को छोडकर)
5	निदेशक समेती (आत्मा) में कार्यरत सहा.कार्या. अधीक्षक	निदेशक, समेती (आत्मा), दुर्गापुरा,जयपुर	निदेशक, समेती (आत्मा) दुर्गापुरा, जयपुर (नियम 14 में अंकित शास्ती 6 व 7 को छोडकर)
6	संयुक्त निदेशक (रसायन) जीपीआरटीएल 1.सहा0कृषि अनु0अधिकारी 2.निजी सहायक 3.कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 4. प्रयोगशाला सहायक 5.लिपिक ग्रेड–I 6.लिपिक ग्रेड–II 7.प्रयोगशाला उपस्थक	अतिरिक्त निदेशक कृषि (अनुसंधान)	अतिरिक्त निदेशक कृषि (अनुसंधान) (नियम 14 में अंकित शास्ती 6 व 7 को छोडकर)
7	संयुक्त निदेशक कृषि, बीज परी0 प्रयोगशाला, दुर्गापुरा 1.सहा0 कृषि अनु0अधिकारी 2.निजी सहायक 3.सहा0 कार्या0 अधीक्षक 4.लिपिक ग्रेड–I 5.लिपिक ग्रेड–II 6.प्रयोगशाला सहायक 7. प्रयोगशाला उपस्थक	अतिरिक्त निदेशक कृषि (अनुसंधान)	अतिरिक्त निदेशक कृषि (अनुसंधान) (नियम 14 में अंकित शास्ती 6 व 7 को छोडकर)

8	**संयुक्त निदेशक कृषि पौध व्याधि, दुर्गापुरा** 1.सहा0 कृषि अनु0अधिकारी 2.निजी सहायक 3.सहा0 कार्या0 अधीक्षक 4.लिपिक ग्रेड–I 5.लिपिक ग्रेड–II 6.कृषि पर्यवेक्षक 7.कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 8.प्रयोगशाला सहायक 9. प्रयोगशाला उपस्थक	अतिरिक्त निदेशक कृषि (अनुसंधान)	अतिरिक्त निदेशक कृषि (अनुसंधान) (नियम 14 में अंकित शास्ती 6 व 7 को छोडकर)
9	**उप निदेशक (गु0नि0), दुर्गापुरा** 1.सहा0कृषि अनु0अधि0 2.कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 3.प्रयोगशाला सहायक 4.लिपिक ग्रेड–II 5.प्रयोगशाला उपस्थक	अतिरिक्त निदेशक कृषि (अनुसंधान)	अतिरिक्त निदेशक कृषि (अनुसंधान) (नियम 14 में अंकित शास्ती 6 व 7 को छोडकर)
10	**संयुक्त निदेशक कृषि खण्ड भरतपुर / भीलवाड़ा / बीकानेर / गंगानगर / जयपुर / जालौर / जोधपुर / कोटा / सीकर / उदयपुर** **(खण्ड कार्यालय व खण्ड में स्थित समस्त कृषि कार्यालय)** 1.सहा0कृषि अधिकारी 2.सहा0सांख्यिकी अधिकारी 3.निजी सहायक 4.कार्यालय अधीक्षक कम सहा0 प्रशा0 अधिकारी 5.सहा0कार्या0 अधीक्षक 6.लिपिक ग्रेड–I 7.लिपिक ग्रेड–II 8.प्रोजेक्टरऑपरेटर 9.वाहन चालक उप निदेशक कृषि(विस्तार) 1. सहा0कृषि अधिकारी 2. कृषि पर्यवेक्षक 3.सहा0कार्या0अधीक्षक 4.लिपिक ग्रेड–I 5.लिपिक ग्रेड–II 6.वाहन चालक सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) 1. सहा0कृषि अधिकारी 2. कृषि अन्वेषक 3.कृषि पर्यवेक्षक 4.लिपिक ग्रेड–I 5.लिपिक ग्रेड–II 6.वाहन चालक उप निदेशक कृषि (शष्य)एटीसी 1.सहा0कृषि अनु0अधि0 2.कृषि पर्यवेक्षक 3.लिपिक ग्रेड–I 4.लिपिक ग्रेड–II 5. वाहन चालक 6.प्रयोगशाला सहायक 7.प्रयोगशाला उपस्थक 8.वाहन चालक उप निदेशक कृषि (रसायन) कीटनाशी परी0प्रयो0 1.सहा0कृषि अनु0अधि0 2.कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 3. प्रयोगशाला सहायक 4.लिपिक ग्रेड–II 5.प्रयोगशाला उपस्थक	संबंधित संयुक्त निदेशक कृषि खण्ड	संबंधित संयुक्त निदेशक कृषि खण्ड(नियम 14 में अंकित शास्ती 6 व 7 को छोडकर)

	<u>उप निदेशक कृषि (रसायन) उर्व0 परी0प्रयो0</u> 1.सहा0कृषि अनु0अधि0 2.कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 3. प्रयोगशाला सहायक 4.लिपिक ग्रेड–II 5.प्रयोगशाला उपस्थक <u>बीज / मृदा परी0प्रयोगशाला</u> 1.सहा0कृषि अनु0अधि0 2.प्रयोगशाला सहायक 3.लिपिक ग्रेड–I 4.लिपिक ग्रेड–II 5.प्रयोगशाला उपस्थक		

यह आदेश निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देशों की पालना करते हुए एतद्द्वारा लागू होंगेः–

1. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–3/जांच) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.9(2)(25) कार्मिक/क–3/2010 दिनांक 02.10.2010 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संबंध में समस्त जिला परिषद की जिला स्थापना समितियों को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958, के नियम 17 के अधीन लघु शास्तियॉ अधिरोपित करने के आदेश पूर्व की भॉति रहेगें।
2. आयुक्त/निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, निदेशक, उद्यान, निदेशक राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, निदेशक समेती (आत्मा) मंत्रालयिक व अधीनस्थ कार्मिकों के विरूद्ध नियम 17 व 16 में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
3. निदेशालय स्तर पर अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार), अतिरिक्त निदेशक कृषि (अनुसंधान) द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की पत्रावलियां जांच अनुभाग में पूर्व की भांति संधारित की जावेगी।
4. खण्ड में कार्यरत संयुक्त निदेशक कृषि खण्ड अपने खण्ड के अधीन कार्यरत विभिन्न कार्यालयों में यथा स्वयं का कार्यालय, उप निदेशक कृषि (विस्तार), सहायक निदेशक कृषि (विस्तार),उप निदेशक कृषि (शष्य)एटीसी, उप निदेशक कृषि (रसायन), कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशाला, उप निदेशक कृषि (रसायन), उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला, बीज/मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में कार्यरत समस्त मंत्रालयिक व अधीनस्थ सेवाओं के कार्मिकों के विरूद्ध नियम 17 व 16 में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु सशक्त किया जाता है।
5. सशक्त अधिकारी नियम 16 में स्वयं के स्तर से नियमानुसार जांच अधिकारी का मनोनयन कर प्रक्रिया को पूरी करायेंगे। प्रक्रिया के दौरान यदि प्रकरण सेवा से हटाये जाने, सेवा से पदच्युति का बनता है, नियमानुसार नियुक्ति अधिकारी अर्थात् आयुक्त/निदेशक कृषि को अग्रेषित किया जावेगा।
6. कार्मिक का स्थानान्तरण अन्य खण्ड में या उसके अधीनस्थ कार्यालय में होने पर उसके सेवा रिकॉर्ड के साथ जांच संबंधी पत्रावली भी भिजवाई जावे। साथ ही उसे कोई दण्ड दिया जाता है तो उसका अंकन भी उसके सर्विस रिकॉर्ड में किया जावे।
7. कृषि निदेशालय स्तर पर अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों की विभागीय कार्यवाही से संबंधित पत्रावली संबंधित कार्यालय को स्थानान्तरित कर दी जावे और प्रत्येक पत्रावली पर उसका सेल्फ कंटेंड नोट बनाकर संबंधित कार्यालय के कार्मिक को बुलाकर व्यक्तिश संभलाई जावे।
8. फील्ड में कार्यरत कार्मिक (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) स्थानान्तरण पर यदि निदेशालय में पदस्थापित हो जाता है और उसकी जांच पूर्व कार्यालय से संबंधित है तो उसकी भी पत्रावली भी पूर्व कार्यालय में विभागीय कार्यवाही हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।